न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
20 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	23.03.2015	04.07.2022

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1–श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल घी विक्रेता एफ.बी.ओ. मैसर्स सुरेन्द्र कुमार ग्वाला देवली जिला टोंक

.....अप्रार्थी

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी श्री अजय सिंह सोलंकी अनुपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 04.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.09.2013 को समय सायं 03:55 बजे मैसर्स सुरेन्द्र कुमार ग्वाला घोषी मोहल्ला देवली जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहॉ श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल आम जनता को विक्रय करने हेतु दूध क्रीम से घी बनाते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला ने स्वयं को डेयरी को मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु डेयरी में ऐलुमिनियम के केन लगभग 15 किलो क्षमता वाले में लगभग 10–12 किलोग्राम तैयार किया हुआ **घी** रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे है, 800 ग्राम **घी** खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 800 ग्राम **घी (खुला)** को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ खाली साफ एवं सूखी कांच के जार दिखाकर उक्त घी को बराबर–बराबर 200–200 ग्राम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भरा एवं प्रत्येक कांच के जार को एयरटाइट ढकक्न बन्द किया एवं नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक जार पर चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–573 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई– 573 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक 3219 दिनांक 30.09.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/441/एफएसएसए/2013/446 दिनांक 18.09.2013 के अनुसार विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **घी (खुला) अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी ने **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **घी (खुला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन कियां है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 01.05.2015 को श्री अजय सिंह सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 02.06.2016 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक द्वारा कोई बहस नहीं की गई। इससे प्रतीत होता हैं कि अभिभाषक प्रार्थी अपने पक्ष में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। प्रकरण में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (खुला)** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रूपये) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.07.2022

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0